

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री जयेश पारीक, ए-14, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :- 15/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 08-04-2025  | <p style="text-align: center;">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</li><li>अपीलार्थी ने अपने ऑनलाईन प्रथम अपील आवेदन संख्या 249779710158707 दिनांकित 03-02-2025 में वर्णितानुसार उनकी ओर से दिनांक 31-12-2024 को प्रस्तुत आवेदन में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा रेस्पोंडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 03-02-2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li><li>लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा से टिप्पणी चाहे जाने पर उन्होंने जरिये पत्रांक 20080 दिनांक 04-04-2025 से अवगत कराया कि अपीलार्थी को अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उक्त पत्र की प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अपीलार्थी वक्त सूचनाई अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह यह अवधारित माना जाता है कि प्रार्थी अपीलार्थी को, प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से संतुष्ट है।</li></ol> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी की खारजी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर उक्त निर्णय की प्रतिलिपि ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल पर अपलोड की जावें। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 08-04-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |   |



(जसमीत सिंह संधू)  
प्रथम अपीलार्थी अधिकारी  
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा